म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26--अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक– मंडी बोर्ड/प्रांगण/बी–4/गेहूँ एमएसपी/2015/288 **भोपाल दिनांक : 26.03.15**

–:: आदेश ::–

दिनांक 25 मार्च, 2015 से प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में तथा दिनांक 02 अप्रैल, 2015 से जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन का कार्य राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा कर दिया/किया जा रहा है।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में समर्थन मूल्य एवं सामान्य घोष विक्रय में विक्रय होने वाले गेहूँ की व्यवस्था सुचारू रूप से किये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित निर्देश दिये जा रहे हैं :–

1– जिला कलेक्टर से सतत संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषि उपज मंडी प्रांगण में गेहूँ के समर्थन मूल्य पर कय संपन्न किये जाने हेतु कय केन्द्र (समर्थन मूल्य पर कय आरंभ होने की दिनांक पर) आरंभ हो जावे तथा इस व्यवस्था में आवश्यकानुसार कय केन्द्रों में वृद्धि के लिये (जिला कलेक्टर से) अविलम्ब अनुरोध किया जाए ।

2– कृषि उपज मंडी प्रांगण में आरंभ हुए समर्थन मूल्य कय केन्द्र पर किसानों की सुविधा हेतु कय संचालन समिति से अनुरोध प्राप्त होने पर, पंखा एवं छन्ना लगाने की अनुमति तत्काल प्रदान की जावे।

3– प्रत्येक कृषि उपज मंडी समिति में उपलब्ध मोईस्चर मीटर का उपयोग अमानक घोषित गेहूँ के सत्यापन हेतु किया जाये और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस मोईस्चर मीटर का उपयोग मंडी प्रांगण में कार्यरत् समर्थन मूल्य कय केन्द्र को भी आवश्यकतानुसार करने की अनुमति दी जाये।

4– मंडी प्रांगण में कार्यरत् समर्थन मूल्य कय केन्द्र पर एवं मंडी प्रांगण में खुले घोष में गेहूँ की एफएक्यू गुणवत्ता का निर्धारण राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश कमांक– एफ–5–31/2014/29–1 दिनांक 12 मार्च, 2015 की कांडिका कमांक–13.1 में उल्लेख अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

5– कृषि उपज मंडी प्रांगण में खुले घोष में गेहूँ की समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार नीलामी को कुछ समय के लिए स्थगित कर पुनः आरंभ किया जाये साथ ही किसानों को दूसरे चरण की नीलामी में पुनः भाग लेने हेतु समझाईश दी जावे। कृषि उपज मंडी समिति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सदैव प्रयासरत् रह कर यह सुनिश्चित करना होगा कि मानक स्तर के गेहूँ का विकय समर्थन मूल्य से कम पर ना होने दिया जाये।

6– मंडी प्रांगण में किसानों के द्वारा लाई गई कृषि उपज का तौल कार्य लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटियों के माध्यम से ही कराया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसान के द्वारा एक बार से अधिक हम्माली एवं तुलावटि व्यय न वहन किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अरुण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक

कमांक– मंडी बोर्ड/प्रांगण/बी–4/गेहूँ एमएसपी/2015/289. भोपाल,दिनांक : 26.03.15

प्रति :–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3– प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल।

4– सचिव, मुख्यमंत्री, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।

5– कलेक्टर, जिला..(समस्त)।

6– संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....

7– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ....

प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल